

## सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

### आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0 अमनौर द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल - 02 सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 462 दिनांक 19.05.17 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन कार्यप्रमंडल - 02 सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति की राशि पर निम्नालिखित योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही निदेश है, कि निम्नांकित योजनाओं का संबंधित अंचलाधिकारी से जमीन सरकारी होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

क्र०	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	अमनौर	अमनौर प्रखंड अन्तर्गत पंचायत 'शेखपुरा अन्तर्गत डीह पकड़ी ब्रह्मस्थान पोखरा पर पश्चिम दिशा में सीढी घाट का निर्माण कार्य	500000	500000	श्री शत्रुघ्न तिवारी
2	"	अमनौर पंचायत अमनौर कल्याण अन्तर्गत 'शहादी ग्राम में त्रिलोकी तिवारी के घर के पास पोखरा में सीढी घाट का निर्माण कार्य	500000	500000	"
3	मकेर	पीर मकेर पंचायत अन्तर्गत दादनपुर में विशिपा टोला गंडक नदी में सीढी घाट का निर्माण कार्य	506000	506000	"
4	"	मकेर प्रखंड अन्तर्गत बाधाकोल पंचायत के नया टोला में गंडक नदी में सीढी घाट का निर्माण कार्य	534500	534500	"
5	अमनौर	अमनौर विधान सभा क्षेत्र के परसा प्रखंड अन्तर्गत पचलख पंचायत के ग्राम बनकेरवा भाव पोखरा में सीढी घाट का निर्माण कार्य	443400	443400	"
6	"	मदारपुर पंचायत अन्तर्गत गौसी छपरा ग्राम में डबरा नदी में सीढी घाट का निर्माण कार्य	500000	500000	"
7	"	कैतुका लच्छी पंचायत अन्तर्गत लच्छी कैतुका शिव मंदिर उच्च विधालय के पास पोखरा में सीढी घाट का निर्माण कार्य।	415900	415900	"
8	"	अमनौर पंचायत अन्तर्गत रायपुरा अन्तर्गत सराय बक्स बहपुरबा बड़ा पोखरा में पूर्व दिशा में सीढी घाट का निर्माण कार्य	500000	500000	"

		ग्राम फुलवरीया में सावेंजनी पोखरा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।			
10	अमनौर	अमनौर पंचायत अन्तर्गत शेखपुरा अन्तर्गत पैगा चौद बाजार पर पश्चिम दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य	400000	400000	"
11	"	अमनौर पंचायत अन्तर्गत हुस्सेपुर ठाकुरवाड़ी पोखड़ा में पश्चिम दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य	600000	600000	"
12	"	अमनौर पंचायत हुस्सेपुर सोनार पटी में ब्रह्म स्थान के पास चबुतरा का निर्माण कार्य।	149400	149400	"
13	"	अमनौर पंचायत तरवार अन्तर्गत तरवार पूर्व टोला में पश्चिम दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	400000	400000	"
14	"	अमनौर पंचायत रसूलपुर अन्तर्गत रसूलपुर बड़ा पोखरा में दक्षिण दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	600000	600000	"
15	"	अमनौर पंचायत अन्तर्गत धरहरा खुर्द पंचायत अन्तर्गत शेखपुरा अन्तर्गत शेखपुरा पोखरा में पश्चिम दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	500000	500000	"
16	"	अमनौर प्रखंड अन्तर्गत ढोलाही पंचायत अन्तर्गत ढोलाही कैथल पूर्व टोला में पोखरा में पूर्व दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	500000	500000	"
17	मकेर	मकेर प्रखंड अन्तर्गत तारा अमनौर पंचायत अन्तर्गत तारा अमनौर में नहर के पास पोखड़ा में दक्षिण दिशा में सीढ़ी घाट के निर्माण कार्य।	415900	415900	"
18	अमनौर	अमनौर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परसा प्रखंड अन्तर्गत चौदपुरा पंचायत के ग्राम गंमोई राजानकी मंदिर के पास धिरज सिंह के घर के पास चबुतरा का निर्माण कार्य।	136600	136600	"
19	"	अमनौर विधान सभा क्षेत्र परसा प्रखंड अन्तर्गत चौदपुराप पंचायत के नगेन्द्र सिंह के टोला पर भरत साह के घर के नजदीक ब्रह्म स्थान के पास चबुतरा का निर्माण कार्य।	136600	136600	"
20	अमनौर	अमनौर विधान सभा क्षेत्र के पास परसा प्रखंड अन्तर्गत सगुनी पंचायत के ग्राम बाजीतपुर पोखरा में दक्षिण दिशा की ओर सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	449800	449800	"
21	"	अमनौर प्रखंड अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र के परसा प्रखंड अन्तर्गत शोभेपुर पंचायत के ग्राम बसौती पोखरा में सीढ़ी घाट का निर्माण।	556000	556000	"

22	"	के विक्रम कैतुका में शिवकुमार शर्मा के पोखड़ा में पूर्व दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।			
23	"	मकेर प्रखंड अन्तर्गत कैतुका नंदन पंचायत के बच्चा कैतुका सार्वजनिक पोखड़ा में सीढ़ी घाट का निर्माण।	355300	355300	"
24	"	मकेर प्रखंड के कस्बा मकेर पंचायत अन्तर्गत श्रीनवा पोखरा में पश्चिम दिशा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	506000	506000	"
25	"	मकेर प्रखंड अन्तर्गत फलवरिया पंचायत के पुरे छपरा में प्रभुनाथ सिंह के घर के पास बलहा में पोखरा में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	415900	415900	"
		कुल योग :-	10853100	10853100	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- (एक करोड़ आठ लाख तिरपन हजार एक सौ रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल- 02 सोनपुर द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/ निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

#### कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक - 23.09.14 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृत योजनाओं के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

